**फोरम के आदेश की अवहेलना पर दण्ड दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986**

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम जिला .......

दान्डिक वाद सं० ............ सन्........

(परिवाद सं० ............ सन् ............ में पारित आदेश दिनाँक ............ से उत्पन्न)

क ख ग................ ..... प्रार्थी

**बनाम**

अ.ब.स............................. विपक्षी

माननीय अध्यक्ष एवं साथी सदस्यगण,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है :

1. यह कि माननीय फोरम में एक परिवाद सं० ............ सन् ..... ....... चला था जिसमें दिनाँक ............ को आदेश पारित हुआ था, अपील न होने अथवा अपील के खारिज होने के कारण वह आदेश अन्तिमता प्राप्त कर चुका है।
2. यह कि उक्त आदेश के अधीन विपक्षी को ............ में दोष दूर करने अथवा सेवा में कमी को दूर करने के निर्देश दिये गये थे और ............रू० प्रतिकर तथा ............ रु० हर्जा / व्यय भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे।

**अथवा**

परिवादी का परिवाद निस्सार अथवा तंग करने वाला पाये जाने पर परिवादी को हजाना भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

1. यह कि आदेश की सत्य प्रतिलिपि संलग्नक सं०1 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत का जा हैं.–विपक्षी अथवा परिवादी ने फोरम के उक्त आदेश का अवसर दिये जाने पर भी अनुपालन किया है और आदेश की अवहेलना कर रहा है।

अत: प्राथना है कि उक्त ............. को आहत करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27 के अन्तर्गत कारावास का तथा अर्थदण्ड का आदेश देने की कृपा करें।

**दिनाँक............**

**प्रार्थी.................**

**(नाम)**

**हस्ताक्षर..........**

**शनाख्त अधिवक्ता श्री..........**